ए.

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। (2009 की सिविल अपील सं. 6398)

बी.

27 अप्रैल, 2020

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988:आर. 9 (1) (ई)-संयंत्र और उपकरणों और पुर्जों के आयात का मूल्यांकन-राजस्व में आयातित वस्तुओं के लेनदेन मूल्य में डिजाइन और तकनीकी दस्तावेजों के लिए भुगतान की गई कीमत शामिल है-निर्धारिती की याचिका कि संयंत्र और इन वस्तुओं के संयोजन, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित चित्र और तकनीकी दस्तावेज आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं किए जा सकते हैं-राजस्व का मामला यह था कि चूंकि टर्नकी परियोजनाओं का आयात शामिल था, इसलिए पूरे अनुबंध मूल्य को सीमा शुल्क वसूलने के लिए लेनदेन मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए-आयोजित:राजस्व ने यह मामला नहीं बनाया है कि अनुबंध की विवादित वस्तुएं आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं-आर में निहित अभिव्यक्ति "शर्त"।9(1)(ई) इस विचार को व्यक्त करता है कि कुछ तभी किया जा सकता है जब एक और काम भी किया गया हो-राजस्व ने अपने मामले पर इस आधार पर जोर दिया कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, इसलिए उपकरणों का आयात और आयात के बाद की परियोजना कार्यान्वयन अभ्यास पारस्परिक रूप से निर्भर थे-अनुबंधों में ऐसी निहित शर्त को पढ़ना ऐसी स्थिति के निर्वाह को प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य सामग्री के अभाव में अस्वीकार्य होगा-अनुबंध का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाया गया था जिससे ऐसी शर्त का अनुमान लगाया जा सके-आर के प्रावधान।9(1)(ई) प्रत्येक आयात पर स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जिसमें एक टर्नकी अनुबंध की सतह की विशेषताएं हैं-सिर्फ इसलिए कि एक अनुबंध या कई अनुबंधों के विभिन्न घटक आयातित वस्तुओं को टर्नकी परियोजना का आकार देते हैं, बिना आर में विचार किए गए "शर्त" के अस्तित्व पर विशिष्ट निष्कर्ष के।9(1)(ई), इन सभी घटकों के मूल्य को आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए जोड़ा नहीं जा सका-इस तरह की कवायद व्याख्यात्मक टिप्पणी के प्रावधानों के खिलाफ जाएगी।4, जो आर के प्रावधानों को देखते हुए मूल्यांकन नियमों का हिस्सा है।12 वहाँ से।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

109 ए.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** एक संयंत्र के उपकरणों का आयातक हमेशा उपकरणों की आपूर्ति करने वाले विदेशी संघ से आयात के बाद की गतिविधियों को शुरू करने के लिए चित्र और डिजाइन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।यह ऐसी व्यवस्थाओं को एक महत्वपूर्ण अनुबंध के गुण प्रदान कर सकता है, लेकिन यह तथ्य अपने आप मूल्यांकन नियमों के नियम **9 (1) (ई)** में निहित "शर्त" खंड को आकर्षित नहीं करेगा।राजस्व इस समझ के साथ आगे बढ़ा है कि चूंकि दोनों एक ही विक्रेता से प्राप्त किए गए थे, इसलिए आयात के बाद की गतिविधियों के लिए डिजाइन आदि प्राप्त करने की शर्त अनुबंध में निहित थी।राजस्व ने अपने मामले पर इस आधार पर जोर देने की कोशिश की है कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, इसलिए उपकरणों का आयात और आयात के बाद की परियोजना कार्यान्वयन अभ्यास परस्पर निर्भर थे।अनुबंधों में ऐसी निहित शर्त को पढ़ना ऐसी स्थिति के निर्वाह को प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य सामग्री के अभाव में अस्वीकार्य होगा।अनुबंध का ऐसा कोई हिस्सा नहीं दिखाया गया है जिससे ऐसी स्थिति का अनुमान लगाया जा सके।**[**पारस **22** और **26] [132-**ए**-**बी**, 133-**एच**; 134-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

2. यदि किसी एकल समझौते में आयात के बाद की गतिविधियों के लिए शुल्क योग्य उपकरणों और सेवाओं का आयात शामिल है, और वस्तुओं के ये दो समूह अलग-अलग हैं, तो आयातक के लिए आयात के बाद की गतिविधियों से सीधे संबंधित वस्तुओं के संबंध में शुल्क-बहिष्करण का दावा करने के लिए खुला होगा, ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकन नियमों का नियम **9** लागू है। वर्तमान अपील में, जिसमें दो आयात खेप शामिल हैं, प्रथम दृष्टांत और अपीलीय प्राधिकरण के अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि चूंकि सभी अनुसूचित वस्तुएं एक ही अनुबंध का हिस्सा थीं और आयात के बाद की गतिविधियों के साथ आयातित उपकरणों से जुड़ी थीं, इसलिए

धारा **9 (1) (ई)** के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।इस तरह का तर्क विदेशी संघ को आयात के बाद का काम देने के लिए शर्तों के निर्वाह का अनुमान लगाता है या वस्तुओं के दोनों सेटों के आयात को अन्यथा परस्पर निर्भर बनाता है।मूल आदेशों से पता चलता है कि सेल का रुख सुसंगत था कि विषय चित्र और विनिर्देश आयातित उपकरणों से संबंधित नहीं थे और आयात के बाद की गतिविधियों के लिए थे और इस बात की कोई शर्त नहीं थी कि उपकरणों के आयात को आयात के बाद के काम द्वारा पूरक किया जाना था।**[**पैरा **27,28] [134-**ई**,** जी**; 135-**ए**]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

111

ग्राहक आयोग (पोर्ट) कोलकाता बनाम एम./एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

टिस्को बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क आयुक्त

(2000) 3 एससीसी 472:[2000] 1 एससीआर 876; मुकुंद लिमिटेड

सीमा शुल्क आयुक्त **2000 (120)** ई**.** एल**.** टी**. 30 -**

संदर्भित किया गया।

सीसी **(**पूर्व**),** अहमदाबाद बनाम एस्सार गुजरात **(1997) 9** एससीसी

738 :[1996] 8 पूरक।एस. सी. आर. 757; आंध्र पेट्रोकेमिकल्स

बी.

5 सीमा शुल्क कलेक्टर**,** मद्रास **(1988) 9** एस**.** सी**.** सी**. 109;** आयुक्त**,** दिल्ली मूल्य वर्धित कर बनाम ए**.** बी**.** बी**.** लिमिटेड

(2016) 6 एससीसी **791:[2016] 4** एस**.** सी**.** आर**. 600-**लागू नहीं होता।

संदर्भित निर्णय

सी.

[2000] 1 एससीआर **876**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

2000 (120) ईएलटी **30**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[1996] 8 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 757** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **12 (1988) 9** एस**.** सी**.** सी**. 109** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **13 [2016] 4** एस**.** सी**.** आर**. 600** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **13**

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2009 की सिविल अपील सं. 6398।

निर्णय और आदेश सं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता के ए/520-521 के. ओ. एल./2006 दिनांक <आई. डी. 1 अपील सं. सी/वी-537/2001 और सी-01/2002।

ई.

ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. एल. चिदानंद, सुश्री सुनीता रानी सिंह और बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एफ.

एस. के. बागरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, यशराज सिंह देवड़ा और सुश्री सोनल मशनकर, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस**,** जे।

जी.

प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी भप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी धप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी णप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी डप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी)प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी धप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी

हप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी छप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी ओप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी धप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी 9 प्रत्यर्थी 6 प्रत्यर्थी 2 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी धप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी ओप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी ।प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी ओप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी डप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी 8 प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी P प्रत्यर्थी t प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी I प्रत्यर्थी I प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी 3 प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी 9 प्रत्यर्थी 8 प्रत्यर्थी 9 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी औप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी ओप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी डप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी 8 प्रत्यर्थी .प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी /प्रत्यर्थी P प्रत्यर्थी t प्रत्यर्थी -प्रत्यर्थी I प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी 2 प्रत्यर्थी 9 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी 1 प्रत्यर्थी 9 प्रत्यर्थी 9 प्रत्यर्थी 0 प्रत्यर्थी ।प्रत्यर्थी ये आयात दुर्गापुर में अपने संयंत्र के आधुनिकीकरण, विस्तार और संशोधन के संबंध में किए गए थे।

एच.

ए.

पश्चिम बंगाल।इस उद्देश्य के लिए सेल ने सात वैश्विक निविदा अनुबंध पैकेज जारी किए थे।ये दोनों अनुबंध इन निविदा अनुबंध पैकेजों का हिस्सा थे।वे 1962 के अधिनियम के संदर्भ में

परियोजना आयात लाभ के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ पंजीकृत थे। इस अपील में शामिल पहला अनुबंध एक संघ के साथ था जिसमें एक जर्मन कंपनी, होस्टेम्बर्गे एंड क्रुइश, जी. एम. बी. एच. और एच. एंड के. रोलिंग मिल्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक भारतीय कॉर्पोरेट इकाई शामिल थी।दूसरा अनुबंध एक जर्मन कंपनी, सीम्पेलकैंप प्रेसेन सिस्टम के साथ भी था और भारतीय इकाई एस्कॉन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसके साथ संघ का गठन किया गया था।ये दोनों अनुबंध उपरोक्त संयंत्र में सेल की रोलिंग मिलों के आधुनिकीकरण के संबंध में थे।

बी.

सी.

2. पहले अनुबंध की अनुसूची 3 (सं.544-9/91 एस. वी. बी.) मूल्य विवरण के साथ आपूर्ति और सेवा का निर्दिष्ट दायरा।उस अनुसूची के उद्धरण सीमा शुल्क आयुक्त के आदेश से दिखाई देते हैं, जो पहली बार प्राधिकरण है, दिनांक 3 जनवरी 2001।यह आदेश पहले अनुबंध से संबंधित था।हम इस निर्णय में बाद में इस आदेश का अधिक विस्तार से उल्लेख करेंगे।उस अनुसूची का प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत किया गया हैः-

डी.

अनुसूची सं।

वर्णन

लाखों [आई] [एम]

3.5.1 ए [II]

बुनियादी डिजाइन और

2.230

ई.

इंजीनियरिंग

3.5.2 ए.

संयंत्र और उपकरण

2.512

इनक लुडिंग कमीशनिंग

एफ.

पुर्जों

3.5.3 ए.

दो साल के संचालन के लिए पुर्जे 0.537 और रखरखाव, बीमा पुर्जे,

विशेष उपकरण और उपकरण।

3.5.4 ए.

भारतीय उपकरणों के 0.675 निर्माण के दौरान विदेशी पर्यवेक्षण शुल्क

जी.

साथ ही इरेक्शन, कमीशनिंग और प्रदर्शन गारंटी परीक्षणों के लिए।(शब्दशः आदेश से उद्धृत)।

एच.

113

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

ए.

इसके अलावा, संचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान उत्पादित थर्मैक्स बार का अनुबंध मूल्य 1,44,000/- और प्रति टन थर्मैक्स बार की रॉयल्टी का भुगतान भी संघ की भारतीय इकाई को अनुबंध के तहत किया जाना था।

जहाँ तक दूसरे अनुबंध का संबंध है, संघ द्वारा की जाने वाली आपूर्ति और सेवाओं का दायरा तीसरी अनुसूची के निम्नलिखित भाग से प्रकट होता है, जिसे फिर से दूसरे क्रम में पुनः प्रस्तुत किया गया है (जिसमें सं.544-9/91 ए. एस. वी. बी.) प्रथम उदाहरण प्राधिकरण, दिनांक 1 जून 2001:-

बी.

अनुसूची सं।

वर्णन

लाखों [आई] [एम]

सी.

3.5 .1.1.[ii] बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरिंग 6.650 3.5.1 [v] परियोजना 1.000 प्रबंधन के लिए तकनीकी सेवाएं जैसे योजना,

खरीद, निरीक्षण,

डी.

शीघ्रता, आदि।

0.100

3.5 .1.1 [vi]

बनाए गए चित्रों के रूप में

3.5 .1.3

24.627 चालू करने वाले पुर्जों सहित संयंत्र और उपकरण

ई.

3.5 .1.4

सभी यांत्रिक और विद्युत

2 साल के संचालन के लिए पुर्जे और 2.251 रखरखाव, बीमा पुर्जे

विशेष उपकरण और उपकरण सहित

एफ.

विदेशी पर्यवेक्षण शुल्क

2.842

3.5 .1.6

भारतीय उत्पादन के दौरान

उपकरण के साथ-साथ निर्माण के लिए,

कमीशनिंग और प्रदर्शन

जी.

गारंटी परीक्षण

3.5.1.11

प्रशिक्षण

0.200 कुलः37.670 (शब्दशः आदेश से उद्धृत)

एच.

3. दोनों अनुबंधों के मूल शब्द कमोबेश समान हैं, इसके खंड (सी) में कहा गया हैः-

"ठेकेदार ने बुनियादी और विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरिंग, लेआउट इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण सेवाओं, खरीद, निर्माण, दुकान परीक्षण, पूर्ण संयंत्र और उपकरणों की आपूर्ति और वितरण, स्थल पर आयातित और स्वदेशी दोनों सामग्री और सभी सिविल कार्यों की स्थापना/निर्माण, पर्यवेक्षण, निर्माण, परीक्षण और परियोजना को सफलतापूर्वक चालू करने और इसके बाद उल्लिखित नियमों और शर्तों के तहत परियोजना के लिए प्रदर्शन गारंटी आदि का प्रदर्शन करने पर सहमति व्यक्त की है।ठेकेदार ने इस अनुबंध के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक बीमा, पोर्ट क्लीयरेंस के लिए सेवाएं प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें स्टीवडोरिंग, परिवहन, सुरक्षित अभिरक्षा, हैंडलिंग, अनलोडिंग, लोडिंग, साइट पर परिवहन और कोई भी अन्य सेवाएं शामिल हैं।"

बी.

सी.

4. जैसा कि इन अनुबंधों में से प्रत्येक के लिए तीसरी अनुसूची से उपर्युक्त उद्धरणों में निहित विषय शीर्षों से स्पष्ट होगा, संघ को संयंत्र, उपकरण और पुर्जों के साथ-साथ साइट पर कुछ बुनियादी डिजाइन और पर्यवेक्षी सेवाओं की आपूर्ति करनी थी।सेल चाहता था कि केवल संयंत्र और उपकरणों पर ही आयात शुल्क लगाया जाए।सेल का रुख यह है कि संयंत्रों और उपकरणों की कीमत में उनके निर्माण के लिए सभी डिजाइन और इंजीनियरिंग शामिल हैं।लेकिन अनुसूची में निर्दिष्ट डिजाइन और चित्र सभी आयात के बाद की परियोजना से संबंधित और परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियाँ थीं।दूसरी ओर सीमा शुल्क अधिकारियों ने भारतीय उपकरणों के निर्माण के दौरान डी. एम. 22.3 लाख का मूल डिजाइन और इंजीनियरिंग शुल्क और निरीक्षण शुल्क और निर्माण, चालू करने और प्रदर्शन गारंटी परीक्षणों के लिए बिल मूल्य में <आई. डी. 1.1 करोड़ जोड़ा।दूसरे अनुबंध के संबंध में, 65 लाख डी. एम. के मूल डिजाइन और इंजीनियरिंग शुल्क को जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया था, भारतीय उपकरणों के निर्माण के दौरान 0.1 लाख डी. एम. के निर्मित चित्र और पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में और चालान मूल्य के लिए 1 करोड़ डी. एम. के निर्माण, चालू करने और प्रदर्शन गारंटी परीक्षणों के लिए।सेल को एक प्रश्नावली भेजे जाने के बाद विवाद विशेष मूल्यांकन शाखा के लिए सीमा शुल्क आयुक्त तक पहुंच गया था, जिसका जवाब दिया गया था।प्राधिकरण ने सेल के प्रतिनिधि को पहली बार सुना। अंतिम आदेशों में, प्रथम उदाहरण के प्राधिकरण ने उपरोक्त परिवर्धनों को निर्देशित किया।उक्त प्राधिकरण ने पाया कि ठेकेदार को टर्नकी आधार पर काम सौंपा गया था, जहां पूरी आपूर्ति और सेवाएं एक-दूसरे पर निर्भर थीं।इस आधार पर, ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

115

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण नियम, 1988 (इसके बाद "1988 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 4 और नियम 9 (1) (ई) के प्रावधानों को दोनों अनुबंधों के संबंध में चालान मूल्य में इस तरह के परिवर्धन को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था।पहली बार प्राधिकरण के उक्त आदेशों के लिए अंतर्निहित तर्क यह था कि वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण अनुबंध और पैकेज सौदा शामिल थे, जिससे खरीदार के लिए सेल के तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप उपकरण खरीदना सशर्त हो गया था। नतीजतन, उपकरणों की बिक्री सशर्त थी क्योंकि आपूर्ति और सेवा की अनुसूची के विभिन्न पहलू आपस में जुड़े हुए थे। आयातित वस्तुओं के लेन-देन मूल्य में 1988 के नियमों के नियम 9 (1) (ई) सहपठित नियम 4 के तहत बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, निर्माण के पर्यवेक्षण, कमीशनिंग, प्रदर्शन गारंटी और तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान की गई कीमत को शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

सी.

5. इन दोनों आदेशों के खिलाफ सेल की अपीलों को सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा 11 जुलाई, 2001 और 7 सितंबर, 2001 को पारित दो अलग-अलग आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था।हम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों से पाते हैं कि (2000) 3 एस. सी. सी. 472 में रिपोर्ट किए गए टिस्को बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का मामला सेल द्वारा उसके समक्ष उद्धृत किया गया था। इस निर्णय को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अलग किया गया था और पहली बार के प्राधिकरण के निष्कर्ष 1988 के नियमों के नियम 9 (1) (ई) के आधार पर बनाए गए थे।

डी.

ई.

6. तथापि, सेल की आगे की अपीलों का निर्णय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) द्वारा 22 मई, 2006 को पारित एक सामान्य आदेश द्वारा उनके पक्ष में किया गया था। ये अपीलें सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष सी/वी-537/2001 और सी-01/2002 के रूप में दर्ज की गई थीं।सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने निम्नलिखित शब्दों में निर्धारण के लिए बिंदुओं को तैयार किया:-

एफ.

"[i] क्या मूल्यांकन नियमों के नियम 9 के तहत आयातित उपकरणों के चालान मूल्यों में डीएम 2.230 मिलियन का मूल डिजाइन और इंजीनियरिंग शुल्क और डीएम 0.675 मिलियन का विदेशी पर्यवेक्षण शुल्क जोड़ा जा सकता है?[अपील सं। सी/वी-537/2001] [ii] क्या डीएम 6.650 मिलियन के मूल डिजाइन और इंजीनियरिंग शुल्क, डीएम 0.100 मिलियन के निर्मित चित्र के लिए शुल्क और डीएम 2.842 मिलियन के पर्यवेक्षण शुल्क भी उक्त अधिनियम की धारा 14 सहपठित मूल्यांकन नियमों के नियम 4 के तहत आयातित उपकरणों के चालान मूल्यों में जोड़े जाने के लिए उत्तरदायी हैं?[अपील सं। सी-1/2002] "

जी.

एच.

7. न्यायाधिकरण ने कहा कि संयंत्र और उन वस्तुओं के संयोजन, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित चित्र और तकनीकी दस्तावेजों को आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है।मूल्यांकन नियम 1988 के नियम 9 (1) (बी) (iv) और 9 (1) (ई) का उल्लेख करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा:-

"इसी तरह सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), अहमदाबाद बनाम एस्सार गुजरात लिमिटेड, 1996 (88) ई. एल. टी. 609 (एस. सी.) में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निर्भरता भी पूरी तरह से गलत है।उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह देखा जाएगा कि मूल्यांकन नियमों और प्रक्रिया लाइसेंस शुल्क के नियम 9 (1) (ई) के तहत उसमें क्या जोड़ा गया है, प्रक्रिया लाइसेंस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए भुगतान और उस संयंत्र को नष्ट करने के लिए जो कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता थी, जिसे विदेश में "जहां है उसी आधार पर" बेचा गया था और इसे भारत को निर्यात किए जाने वाले जहाज पर डिलीवरी के लिए तैयार

किया गया था।उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि इसके अलावा इंजीनियरिंग और परामर्श शुल्क के तहत प्रदान की जाने वाली अन्य सभी सेवाओं को जोड़ा नहीं जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का उक्त निर्णय, उपायुक्त और आयुक्त (अपील) के निष्कर्षों के विपरीत, अपीलार्थी के मामले का समर्थन करता है।

बी.

सी.

डी.

ऑर्डर-इन-ओरिजिनल के अवलोकन से पता चलता है कि सेवाओं के साथ कोई विवाद नहीं है जैसा कि तब दिखाया गया था जब डिजाइन और ड्राइंग और इंजीनियरिंग/तकनीकी सेवाएं संयंत्र की दिशा का पता लगाने और भारत में शुरू होने वाली लोहे और इस्पात परियोजनाओं के निर्माण के लिए समग्र परियोजना कार्यान्वयन में सक्षम थीं और आयात और/या आयात किए जाने वाले घटकों के संबंध में डिजाइन और ड्राइंग और इंजीनियरिंग सेवाओं की लागत और शुल्क एकत्र किए गए थे।ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि निचले अधिकारियों ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए असंगत सुना है कि उक्त शुल्कों को 2000 (37) आर. एल. टी. 239 (एस. सी.) में रिपोर्ट किए गए टिस्को के मामले के आधार पर मूल्यांकन योग्य मूल्य में जोड़ा जाना है।इसके पैरा 8,11 और 15 से 17 का उल्लेख करें।हम इस संबंध में उपायुक्त के तर्क को बनाए रखने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

ई.

एफ.

जी.

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड मामले (उपरोक्त) के मामले में स्पष्ट निर्णय को देखते हुए, हम पाते हैं कि इस न्यायाधिकरण के निर्णयों की श्रृंखला से इस मुद्दे का बहुत समाधान हो गया है और इस मामले की सुनवाई इंडो गल्फ कॉर्प में की गई है।लिमिटेड वी.कॉम.सीमा शुल्क विभाग, 2005 (182) ई. एल. टी. 77 (टी)।

एच.

117

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

ए.

न तो उक्त अधिनियम की धारा 14 में और न ही मूल्यांकन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है जो यह प्रदान करता है कि आयातक द्वारा भारत में वस्तुओं की खरीद या निर्माण के लिए आवश्यक ड्राइंग और तकनीकी दस्तावेजों की लागत या जो संयंत्र के संयोजन, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित है, को उनके लेनदेन मूल्य और परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम के तहत सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से उनके आकलन योग्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपकरणों की कीमत में शामिल किया जाना है। इसके विपरीत मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 4 के "व्याख्यात्मक टिप्पणियों" में यह स्पष्ट किया गया है कि आयातित वस्तुओं के मूल्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयातित वस्तुओं के आयात के बाद किए गए तकनीकी सहायता के निर्माण, निर्माण, संयोजन रखरखाव के लिए शुल्क शामिल नहीं होंगे, जैसे कि अपीलार्थी द्वारा आयातित आयातित उपकरणों के आकलन योग्य मूल्य का निर्धारण करने में तत्काल मामले में अनुबंध के 3, पूरी तरह से गलत है, जो उक्त अधिनियम और/या सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।यह भी उपायुक्त और आयुक्त (अपील) सराहना करने और/या विचार करने में विफल रहे और इस तरह स्पष्ट रूप से गलत निष्कर्ष पर पहुंचे।

बी.

सी.

डी.

मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 9 [1] [बी] [iv] के संदर्भ में, लेन-देन मूल्य निर्धारित करने में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के अलावा कहीं और किए गए इंजीनियरिंग, डिजाइन और योजनाओं और रेखाचित्रों के उचित रूप में विभाजित मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए और "आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक" जो खरीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुफ्त में या आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग के लिए आपूर्तिकर्ता या आयातित वस्तुओं को कम लागत पर आपूर्ति की गई थी।ऐसा इसलिए है क्योंकि मुफ्त या कम लागत पर इस तरह की आपूर्ति के परिणामस्वरूप आयातित वस्तुओं के लिए उस कीमत से कम कीमत होगी जो आपूर्तिकर्ता ने ली होगी यदि ऐसी वस्तुओं/सेवाओं के लिए पूरा भुगतान किया जाना था।यह नियम तत्काल मामले में भी लागू नहीं होता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा विदेशी विक्रेता को कोई आपूर्ति या कोई इंजीनियरिंग या चित्र नहीं दिया गया है।इसके अलावा, मुफ्त या कम लागत पर कोई आपूर्ति नहीं थी।अतः वर्तमान मामले में भी इस नियम की कोई प्रयोज्यता नहीं है।"

ई.

एफ.

जी.

(उद्धृत शब्दशः) 8.यह इस आदेश के खिलाफ है कि राजस्व हमारे समक्ष अपील में है।इससे पहले कि हम वरिष्ठ वकील श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत दलीलों की जांच करें

एच.

अपीलार्थी और निर्धारिती के वरिष्ठ वकील श्री बागरिया के लिए, हम उन वैधानिक प्रावधानों का विज्ञापन करेंगे जो इस मामले के तथ्यों में लागू होते हैं।ये सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12,14 (जैसा कि आयात के समय था), 1988 के नियमों के नियम 4 और 9 हैं।इन प्रावधानों में कहा गया हैः-

सीमा शुल्क अधिनियम **1962** की धारा **12** और **14**

बी.

"12. देय वस्तुएँ।— (1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, भारत में आयातित या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क उन दरों पर लगाया जाएगा जो [सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51)] या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

सी.

[(2) उप-धारा (1) के प्रावधान सरकार से संबंधित सभी वस्तुओं के संबंध में लागू होंगे जैसा कि वे उन वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं जो सरकार से संबंधित नहीं हैं।]

14. निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्यांकन-(1)

डी.

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए, जहां सीमा शुल्क के तहत किसी भी माल पर उनके मूल्य के संदर्भ में शुल्क लगाया जाता है, ऐसे माल का मूल्य -

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, जिस कीमत पर ऐसी या ऐसी वस्तुओं को आम तौर पर बेचा जाता है, या बिक्री के लिए पेश किया जाता है, आयात या निर्यात के समय और स्थान पर वितरण के लिए, जहां -

ई.

(क) विक्रेता और खरीदार की एक दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है; या

एफ.

(ख) उनमें से एक की दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है, और बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव के लिए मूल्य एकमात्र विचार हैः

बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी जिस दिन धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल प्रस्तुत किया जाता है, या धारा 50 के तहत शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया जाता है।

जी.

(1 क) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयातित वस्तुओं के संबंध में उस उप-धारा में निर्दिष्ट मूल्य का निर्धारण इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

एच.

119

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

ए.

(2) उप-धारा (1) या उप-धारा (1 ए) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं के किसी भी वर्ग के लिए ऐसे या समान माल के मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रशुल्क मूल्य निर्धारित कर सकता है और जहां ऐसा कोई प्रशुल्क मूल्य निर्धारित किया जाता है, वहां शुल्क ऐसे प्रशुल्क मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य होगा।

बी.

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "विनिमय दर" से विनिमय दर अभिप्रेत है-(i) बोर्ड द्वारा निर्धारित, या

सी.

((ख) बोर्ड द्वारा निर्देशित तरीके से अभिनिर्धारित,

भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए;

(ख) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (एम) और खंड (क्यू) में क्रमशः दिया गया है।"

डी.

1988 के नियम **4** के नियम **4** और नियम **9**।लेन**-**देन मूल्य।

ई.

(1) आयातित वस्तुओं का लेन-देन मूल्य भारत को निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य होगा, जिसे इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत आयातित वस्तुओं का लेन-देन मूल्य स्वीकार किया जाएगाः

एफ.

बशर्ते कि -

ए। बिक्री पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में है;

जी.

बी। बिक्री में सामान्य प्रतिस्पर्धी मूल्य से कोई असामान्य छूट या कमी शामिल नहीं है।

ग. बिक्री में विशेष एजेंटों तक सीमित विशेष छूट शामिल नहीं है; या

एच.

घ. लेन-देन मूल्य में नियम 9 के प्रावधानों के तहत किए जाने वाले आवश्यक समायोजन के संबंध में उद्देश्यपूर्ण और मात्रात्मक डेटा मौजूद है।

ई. खरीदार द्वारा माल के स्वभाव या उपयोग के बारे में प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं हैं जो -

बी.

((i) भारत में कानून द्वारा या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिरोपित या अपेक्षित हैं; या

((ii) उस भौगोलिक क्षेत्र को सीमित करें जिसमें माल को फिर से बेचा जा सकता है; या

((ग) माल के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है;

सी.

च. बिक्री या मूल्य उसी शर्त या विचार के अधीन नहीं है जिसके लिए माल के मूल्य के संबंध में मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है;

छ. खरीदार द्वारा माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग की आय का कोई भी हिस्सा विक्रेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तब तक अर्जित नहीं होगा जब तक कि इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार उचित समायोजन नहीं किया जा सकता है और ज. खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं।

डी.

या जहाँ खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, वह लेनदेन मूल्य नीचे दिए गए उप-नियम (3) के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है।

ई.

(3) (क) जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, लेनदेन मूल्य स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि आयातित वस्तुओं की बिक्री की परिस्थितियों की जांच से संकेत मिलता है कि संबंध ने कीमत को प्रभावित नहीं किया।

एफ.

(ख) संबंधित व्यक्तियों के बीच बिक्री में, लेन-देन मूल्य स्वीकार किया जाएगा, जब भी आयातक यह प्रदर्शित करता है कि माल का घोषित मूल्य उसी समय या उसके आसपास निर्धारित किए गए निम्नलिखित मूल्यों में से किसी एक के करीब होता है-(i) भारत में असंबंधित खरीदारों को बिक्री में समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लेनदेन मूल्य;

जी.

((ii) समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लिए कटौती मूल्य; (iii) समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लिए संगणित मूल्य।

एच.

121

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

ए.

बशर्ते कि तुलना के लिए उपयोग किए गए मूल्यों को लागू करने में, वाणिज्यिक स्तरों में प्रदर्शित अंतर, मात्रा स्तर, इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजन और बिक्री में विक्रेता द्वारा की गई लागत, जिसमें वह और खरीदार संबंधित नहीं हैं, का उचित ध्यान रखा जाएगा।

(ग) प्रतिस्थापन मूल्य इस उप-नियम के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत स्थापित नहीं किया जाएगा।

बी.

9. लागत और सेवाएँ।–

(1) लेन-देन मूल्य निर्धारित करने में, आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में जोड़ा जाएगा, -

सी.

(क) निम्नलिखित लागत और सेवाएँ, जिस हद तक वे खरीदार द्वारा वहन की जाती हैं, लेकिन आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में शामिल नहीं हैं, अर्थात्:-

(i) कमीशन और दलाली, कमीशन खरीदने के अलावा; (ii) उन कंटेनरों की लागत जिन्हें विचाराधीन वस्तुओं के साथ सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए एक माना जाता है;

डी.

(iii) पैकिंग की लागत चाहे वह श्रम या सामग्री के लिए हो;

(ख) निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जहां खरीदार द्वारा आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुफ्त या कम लागत पर आपूर्ति की जाती है, इस हद तक कि ऐसा मूल्य वास्तव में देय मूल्य में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्:-

ई.

(i) आयातित वस्तुओं में शामिल सामग्री, घटक, पुर्जे और इसी तरह की वस्तुएं;

एफ.

((ii) आयातित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, डाई, मोल्ड और इसी तरह की वस्तुएं।

(iii) आयातित वस्तुओं के उत्पादन में खपत होने वाली सामग्री; (iv) इंजीनियरिंग, विकास, कला कार्य, डिजाइन कार्य और भारत के अलावा कहीं और की गई योजनाएँ और रेखाचित्र और आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री।

जी.

(ग) आयातित वस्तुओं से संबंधित रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क जो खरीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने की आवश्यकता होती है,

एच.

मूल्यवान माल की बिक्री, इस हद तक कि ऐसी रॉयल्टी और शुल्क वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में शामिल नहीं हैं।(घ) विक्रेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित होने वाले आयातित माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग की आय के किसी भी हिस्से का मूल्य;

बी.

(ङ) आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में खरीदार द्वारा विक्रेता को या खरीदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को विक्रेता के दायित्व को पूरा करने के लिए वास्तव में किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी भुगतान इस हद तक कि ऐसे भुगतान वास्तव में भुगतान या देय कीमत में शामिल नहीं हैं।

सी.

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (1 ए) और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, आयातित वस्तुओं का मूल्य आयात के समय और स्थान पर वितरण के लिए ऐसी वस्तुओं का मूल्य होगा और इसमें शामिल होगा-(ए) आयातित वस्तुओं को आयात के स्थान पर ले जाने की लागत;

डी.

(बी) आयात के स्थान पर आयातित माल की डिलीवरी से जुड़े लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग शुल्क; और (सी) बीमा की लागतः

बशर्ते कि -

ई.

(i) जहां खंड (क) में निर्दिष्ट परिवहन की लागत का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां ऐसी लागत माल के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त का बीस प्रतिशत होगी।

((ख) खंड (ख) में निर्दिष्ट शुल्क माल के बोर्ड मूल्य का एक प्रतिशत और खंड (क) में निर्दिष्ट परिवहन लागत और खंड (ग) में निर्दिष्ट बीमा लागत का एक प्रतिशत होगा।

एफ.

(iii) जहां खंड (ग) में निर्दिष्ट लागत का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां ऐसी लागत माल के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त का% होगा; बशर्ते कि हवाई मार्ग से आयातित माल के मामले में, जहां खंड (क) में निर्दिष्ट लागत का पता लगाया जा सकता है, ऐसी लागत माल के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:बशर्ते कि जहां माल का बोर्ड मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां खंड (ए) में निर्दिष्ट लागत बीस ए होगी।

जी.

एच.

123

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

माल के बोर्ड मूल्य का निःशुल्क प्रतिशत और उपरोक्त खंड (i) के लिए बीमा की लागत और खंड (ग) में निर्दिष्ट लागत माल के बोर्ड मूल्य पर निःशुल्क मूल्य और उपरोक्त खंड (iii) के लिए परिवहन की लागत का 1.125% होगी।

(3) वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में जोड़ इस नियम के तहत वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक डेटा के आधार पर किया जाएगा।(4) आयातित माल के मूल्य का निर्धारण करने में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि इस नियम में प्रावधान किया गया है।"

बी.

9. अपीलार्थी का मुख्य मामला यह है कि इन दो मामलों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आयात शामिल है और संपूर्ण अनुबंध मूल्य को सीमा शुल्क वसूलने के उद्देश्य से लेनदेन मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए।श्री अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि डिजाइन और अन्य वस्तुएं, जो विवाद का विषय थीं, उपकरणों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थीं और सेवाओं की आपूर्ति उपकरणों के आयात के लिए शर्तें थीं।राजस्व की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अनुबंधों को बुनियादी योजना और डिजाइनिंग से लेकर साइट पर कार्यान्वयन तक एकीकृत किया गया था और जो आयात किया गया था वह एक परियोजना थी न कि केवल उपकरण।इस संदर्भ में, हमारा ध्यान 1988 के नियमों के नियम 9 (1) (ई) की ओर आकर्षित किया गया था, जिसे हमने इस निर्णय में पहले उद्धृत किया है।10. न्यायाधिकरण ने राजस्व की इस याचिका को स्वीकार नहीं

किया।न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश में समान अनुबंधों द्वारा कवर की जाने वाली सेवाओं पर उपकरणों के मूल्य और अन्य शुल्कों को अलग करने के लिए सेल की याचिका को स्वीकार कर लिया, बाद के शुल्क अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच व्यवस्था के आयात के बाद के चरण के लिए थे।इसने पाया कि डिजाइन और ड्राइंग और इंजीनियरिंग/तकनीकी सेवाएं भारत में शुरू किए जाने वाले लोहे और इस्पात के निर्माण के लिए संयंत्र निर्देशन और समग्र परियोजना कार्यान्वयन के लिए थीं और संघ द्वारा शुल्क एकत्र किया गया था जब घटकों के संबंध में डिजाइन और ड्राइंग और इंजीनियरिंग सेवाओं का आयात किया जाना था।यह भी हमारे सामने राजस्व का मामला नहीं है कि ये डिजाइन और चित्र और सेवाएं आयातित उपकरणों और वस्तुओं के संबंध में थीं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

11. हालाँकि, हमारे सामने पेश किए गए राजस्व की ओर से तर्क का बड़ा हिस्सा 1988 के नियमों के नियम 9 (1) (ई) पर आधारित था।इस मुद्दे पर राजस्व का तर्क, जो पहली बार के प्राधिकरण के साथ-साथ पहली अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों का आधार बना, यह रहा है कि ये महत्वपूर्ण अनुबंध थे और इसलिए आयात करते थे।

एच.

आयात के बाद की गतिविधियों के लिए भी डिजाइन और चित्र आदि को उपकरणों के आयात की शर्त के रूप में माना जाना चाहिए।श्री अग्रवाल ने मुकुंद लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जो [2000 (120) ई. एल. टी. 30] में रिपोर्ट किया गया है, जो डिजाइन और इंजीनियरिंग के मूल्य के अलावा न्यायाधिकरण के एक आदेश की पुष्टि करता है, जो इस देश में डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शन गारंटी परीक्षण के दौरान भारत में पर्यवेक्षण शुल्क का आयात करता है।इस न्यायालय ने 8 दिसंबर 1999 को पारित अपने आदेश में कहाः-

बी.

"1. यह एक अनुबंध है जो बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपूर्ति और उसके आधार पर निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के पर्यवेक्षण पर विचार करता है।एक दूसरे की तरह ही अनुबंध का एक हिस्सा और एक शर्त है।

सी.

2. इसलिए हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।इसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।"

12. मुकुंद लिमिटेड (ऊपर) का मामला स्थापना से संबंधित था

सेल के बुनियादी ऑक्सीजन भट्टी की दुकान के हिस्से के रूप में एक सफाई संयंत्र (संयोग से वही उत्तरदाता), उनके राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए।इस उद्देश्य के लिए उनके ठेकेदार, मुकुंद लिमिटेड ने एक विदेशी कंपनी, डेवी मैकी (स्टॉकटन) लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था।उस अनुबंध के अनुसरण में, डेवी को बुनियादी डिजाइन और ड्राइंग प्रदान करना था और विदेशों में कर्मियों के प्रशिक्षण के अलावा भारत में गैस सफाई संयंत्र के विस्तृत इंजीनियरिंग निर्माण और चालू करने की निगरानी भी करनी थी।हालांकि निर्माण, निर्माण आदि भारत में डेवी द्वारा आपूर्ति किए गए डिजाइनों के आधार पर स्वदेशी वस्तुओं के साथ किया जाना था।अनुबंध राशि £ 20,00,000 थी और डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए शुल्क, भारत में डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग और प्रदर्शन गारंटी परीक्षण के दौरान पर्यवेक्षण का मूल्य £ 6,57,900 था और प्रशिक्षण शुल्क £82,600 का अलग से भुगतान किया जाना था।इस निर्णय पर निर्भर करते हुए

डी.

ई.

एफ.

सी. सी. (पूर्व), अहमदाबाद बनाम में न्यायालय। एस्सार गुजरात में रिपोर्ट किया गया [(1997)

9 एस. सी. सी. 738], न्यायाधिकरण ने 1999 (112) ई. एल. टी. 479 (टी) में दिए गए आदेश में पाया किः-

"6. मूल्य अनुसूची में ऊपर उल्लिखित $(sic) 6,57,900 का भुगतान समझौते में ऊपर दर्शाई गई सेवाओं के लिए है और जो डेवी मैकी द्वारा बनाए गए और अपीलार्थियों द्वारा आयातित गैस सफाई संयंत्र के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपूर्ति के लिए एक आवश्यक संगत है।अपीलार्थियों को गैस सफाई संयंत्र स्थापित करने का काम सौंपा गया है और यह न केवल बुनियादी डिजाइन और ए खरीदकर ही हासिल किया जा सकता है।

जी.

एच.

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

इंजीनियरिंग ड्राइंग डेवी मैकी से आयातित है, लेकिन विस्तृत ड्राइंग, निर्माण, कमीशनिंग और प्रदर्शन गारंटी परीक्षण के पर्यवेक्षण का पूरा इंजीनियरिंग पैकेज भी है।डिजाइन, निर्माण और चालू करने के दौरान पर्यवेक्षण शुल्क के लिए विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान अनिवार्य रूप से आयातित वस्तुओं के आकलन योग्य मूल्य का हिस्सा होना चाहिए और इसके मूल्य में न केवल डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए भुगतान की गई कीमत शामिल होगी, बल्कि पर्यवेक्षण शुल्क भी शामिल होंगे।यह मूल्यांकन नियमों के नियम 9 का पालन करेगा जो लेनदेन मूल्य में कुछ लागतों और सेवाओं को जोड़ने का प्रावधान करता है।नियम 9 (1) (ई) खरीदार द्वारा विक्रेता को आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में वास्तव में किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी भुगतानों को शामिल करता है।" () यह एक ऐसा मामला था जिसमें न्यायाधिकरण इस तथ्य पर पहुंचा कि वस्तुओं के दो सेटों को जोड़ा जाना था ताकि आकलन योग्य मूल्य तक पहुंचा जा सके क्योंकि संयंत्र को केवल मूल डिजाइन के अनुसार स्थापित किया जा सकता है और डिजाइन, चित्र और गतिविधियों का दूसरा सेट जटिल रूप से आपस में जुड़ा हुआ है।इस मामले में किसी भी उपकरण का आयात शामिल नहीं था।

बी.

सी.

डी.

13. आंध्र के मामले में इस न्यायालय का एक और फैसला

पेट्रोकेमिकल्स बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास ने रिपोर्ट की

[(1988) 9 एस. सी. सी. 109] का उल्लेख श्री अग्रवाल ने हमारे सामने किया था।लेकिन उस प्राधिकरण का अनुपात इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा, क्योंकि विवादित राशि में आयातक द्वारा अपने विदेशी सहयोगी को इंजीनियरिंग, डिजाइन कार्य, संयंत्र, रेखाचित्र आदि के लिए किया गया भुगतान शामिल था जो आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक थे।यह 1988 के नियमों के नियम 9 (1) (बी) (iv) को आकर्षित करने वाला मामला था।वास्तव में, यह अधिकार विशिष्ट है।श्री अग्रवाल ने जिस अन्य प्राधिकरण पर भरोसा किया है, वह आयुक्त, दिल्ली मूल्य वर्धित कर बनाम एबीबी लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है, जिसकी रिपोर्ट (2016) 6 एससीसी 791 में दी गई है।इस मामले में विवाद यह था कि क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारका खंड के लिए कर्षण विद्युतीकरण बिजली आपूर्ति और बिजली वितरण की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के अनुबंध पर दिल्ली मूल्य वर्धित कर

लगाया जा सकता है या नहीं।लेकिन यह मामला कार्य अनुबंध और मूल्य वर्धित कर की गणना के लिए अंतर-राज्यीय व्यापार द्वारा माल की आवाजाही के मुद्दों से संबंधित था।उस मामले में लेनदेन को आयात के माध्यम से या अंतर-राज्यीय व्यापार के माध्यम से माल की आवाजाही माना गया था और इसलिए यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के दायरे में आता है। इन दोनों मामलों में एकमात्र तथ्यात्मक समानता यह है कि

ई.

एफ.

जी.

एच.

126

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

एबीबी लिमिटेड (उपरोक्त) का मामला भी टर्नकी परियोजना से संबंधित है।लेकिन उस कानून के तहत "आयात" और सीमा शुल्क अधिनियम में शुल्क लगाने के लिए (धारा 12 के तहत) शुल्क लगाने की धारा समान नहीं है।दोनों कानूनों के तहत लेन-देन मूल्य या आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने का तंत्र अलग और अलग है।इस अधिकार का विषय-विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

बी.

14. अपीलार्थी का मामला सार में यह है कि अधिनियम की धारा 14,1988 के नियमों के नियम 4 और 9 (1) (ई) को समग्र रूप से पढ़ने पर, चित्र, डिजाइन आदि की कीमत को आयातित उपकरणों के चालान मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वे अमूर्त वस्तुएं दोनों संघों और सेल के बीच सहमत व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा थीं। राजस्व ने इस तरह की व्यवस्था को महत्वपूर्ण अनुबंध के रूप में वर्णित किया।यह विशेष रूप से तर्क दिया गया है कि ऐसी अमूर्त वस्तुएं 1988 के नियमों के नियम 9 (1) (ई) के अर्थ के भीतर बिक्री की शर्तों का गठन करती हैं और ये आयात के बाद के शुल्क नहीं हैं।

सी.

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का रुख यह है कि वे वस्तुएं जो अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत में सेल की आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित हैं।उनका मामला यह है कि केवल आयातित उपकरणों पर ही शुल्क लगाया जा सकता है।शुल्क लगाने के लिए प्रभार के प्रावधान का उल्लेख करते हुए, जो कि अधिनियम की धारा 12 और धारा 14 भी है, यह तर्क

दिया गया कि आकलन योग्य मूल्य तक पहुंचने के लिए, 1988 के नियमों का नियम 9 ही एकमात्र तरीका था।जहाँ तक विषय-विवाद का संबंध है, व्याख्यात्मक नोट के सहपठित पढ़ा गया नियम 9 (1) (ई) आयात के बाद की वस्तुओं के मूल्य को जोड़ने की अनुमति नहीं देता है।ऐसे उपकरणों से संबंधित पुर्जे और अन्य विशिष्टताओं को पहले से ही उपकरणों की कीमत में शामिल किया गया था।आयात के बाद की सेवाओं के बहिष्कार के लिए अपने तर्क के समर्थन में, जो एक विदेशी संघ से प्राप्त की जा सकती हैं, श्री बागरिया ने उपरोक्त टिप्पणी का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैः-

डी.

ई.

एफ.

" नियम 4 पर ध्यान दें

वास्तव में भुगतान या देय कीमत

वास्तव में भुगतान या देय मूल्य आयातित वस्तुओं के लिए विक्रेता को या उसके लाभ के लिए खरीदार द्वारा किया गया या किया जाने वाला कुल भुगतान है।भुगतान आवश्यक रूप से धन हस्तांतरण का रूप नहीं लेता है।भुगतान ऋण पत्रों या परक्राम्य उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है।भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है।अप्रत्यक्ष भुगतान का एक उदाहरण खरीदार द्वारा विक्रेता द्वारा देय ऋण का, चाहे वह पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से, निपटान होगा।

जी.

एच.

127

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

ए.

खरीदार द्वारा अपने खाते में की गई गतिविधियाँ, जिनके लिए नियम 9 में समायोजन प्रदान किया गया है, को विक्रेता को अप्रत्यक्ष भुगतान नहीं माना जाता है, भले ही उन्हें विक्रेता के लिए लाभ के रूप में माना जा सके।इसलिए, ऐसी गतिविधियों की लागत को आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करने में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगाःआयातित वस्तुओं के मूल्य में निम्नलिखित शुल्क या लागत शामिल नहीं होगी, बशर्ते कि वे आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य से अलग होंः

बी.

(क) औद्योगिक संयंत्र, मशीनरी या उपकरण जैसी आयातित वस्तुओं पर आयात के बाद किए गए निर्माण, निर्माण, संयोजन, रखरखाव या तकनीकी सहायता के लिए शुल्क; (ख) आयात के बाद परिवहन की लागत;

सी.

((ग) भारत में शुल्क और कर।

वास्तव में भुगतान या देय मूल्य आयातित वस्तुओं की कीमत को संदर्भित करता है।इस प्रकार खरीदार से विक्रेता को लाभांश या अन्य भुगतान का प्रवाह जो आयातित वस्तुओं से संबंधित नहीं है, सीमा शुल्क मूल्य का हिस्सा नहीं है।"

डी.

16. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित अधिकारियों पर भरोसा कियाः

ई.

"1. (2015) 8 एससीसी 175:सीमा शुल्क आयुक्त बनाम एस्सार स्टील

2. (2000) 3 एससीसी 472:मेसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम सीसीई

एफ.

3. (2007) 9 एससीसी **401:**सीमा शुल्क आयुक्त बनाम जे**.** के**.** कार्पोरेशनलि**.**

4. (2015) 14 एससीसी 750:सीमा शुल्क आयुक्त बनाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज

5. (2015) 16 एससीसी 506:सीमा शुल्क आयुक्त बनाम डेन्सो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज

जी.

6. (2007) 5 एससीसी 371:सीमा शुल्क आयुक्त बनाम टोयोटा किर्लोस्कर

7. (2008) 4 एससीसी 563:सीमा शुल्क आयुक्त बनाम फेरोडो इंडिया (पी) लिमिटेड।

एच.

17. एस्सार स्टील लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, विदेशी निर्यातक के साथ दो अनुबंध थे। एक संयंत्र स्थापित करने के लिए खरीद आदेश था।दूसरा, एस्सार लिमिटेड के साथ मेट केम कनाडा इंक. के बीच था, जो एस्सार को भारत में गर्म रोल्ड स्टील कॉइल के निर्माण के लिए भारत में एक संयंत्र स्थापित करने की परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार के रूप में संबद्ध करता था।तकनीकी सेवा समझौता परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में था।राजस्व ने यह रुख अपनाया था कि वस्तुओं और अमूर्त वस्तुओं दोनों पर सीमा शुल्क लगाया जाना था क्योंकि ये एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं थे और डिजाइन इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवाओं के लिए अनुबंध माल की आपूर्ति के अनुबंध के लिए बिक्री की शर्त का गठन करता था।यह इस मामले में भी राजस्व द्वारा लिए गए रुख के समान है।इस न्यायालय ने विभिन्न प्राधिकरणों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व की ओर से उन वस्तुओं के मूल्य या शुल्क को आकलन योग्य मूल्य में शामिल करने की अनुमति नहीं है जिनका उपयोग आयात के बाद की गतिविधियों के लिए किया जाना था।उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में, यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः-

बी.

सी.

डी.

"14. एक और बात ध्यान देने योग्य है कि तकनीकी सेवा समझौते और खरीद आदेश के संयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि तकनीकी सेवा समझौता किसी भी तरह से संयंत्र की बिक्री के लिए एक पूर्व शर्त है।इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर बताया गया है, समग्र रूप से पढ़ा जाने वाला तकनीकी सेवा समझौता वास्तव में केवल भारत में आयात किए जाने के बाद संयंत्र को सफलतापूर्वक स्थापित करने, चालू करने और संचालित करने के लिए है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि खंड 9 (1) (ई) इस मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप मेट केम कनाडा इंक द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए विचार भारत में संयंत्र स्थापित करने के लिए आयातित उपकरणों के मूल्य में नहीं जोड़ा जा सकता है।"

ई.

एफ.

18. इस न्यायालय ने एस्सार स्टील लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले की सुनवाई करते हुए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले का उल्लेख किया था।बाद वाला प्राधिकरण एक छत्र अनुबंध के तहत किए गए आयात से संबंधित था, जो दो शाखाओं में विभाजित था।एक तकनीकी प्रलेखन (एम. डी. 301) की आपूर्ति के लिए समझौते से संबंधित है और दूसरा एक ब्लास्ट फर्नेस और तीन टारपीडो लैडल कारों (एम. डी. 303) से संबंधित उपकरणों और सामग्रियों की बिक्री के लिए है।एम. डी. 301 का मूल्य 12.5 लाख डी. एम.

और एम. डी. 302 का मूल्य 13.5 लाख डी. एम. था। एम. डी. 301 के तहत खेप को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा शून्य शुल्क घटक ए के साथ मंजूरी दी गई थी।

जी.

एच.

129

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

जैसा कि आयातक ने सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985 के उप-शीर्षक संख्या 4906.00 के तहत वर्गीकृत होने का दावा किया था।लेकिन एम. डी. 302 के तहत खेप की जांच करते हुए, सीमा शुल्क अधिकारियों ने आकलन योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए एम. डी. 301 के मूल्य को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू की।विवाद न्यायाधिकरण तक पहुँच गया।इस न्यायालय के निर्णय से युक्त उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष का सारांश दिया गया है:-

बी.

“7. अपीलार्थी और अन्य नोटिसों ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी जिनका एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा किया गया है।न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि विक्रेता, अर्थात एस. एन. पी. और अपीलार्थी के बीच किए गए तीन अनुबंध वास्तव में एक पैकेज के हिस्से थे, अर्थात् तीन एक समग्र समझौते का गठन करते हैं।अपीलार्थी को प्रदान किए गए तकनीकी दस्तावेजों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:(i) आयातित उपकरणों से संबंधित, (ii) उन उपकरणों से संबंधित जो अभी तक अपीलार्थी द्वारा खरीदे या निर्मित नहीं किए गए हैं, और (iii) आयातित उपकरणों के संयोजन, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित हैं।(i) की सीमा तक अनुबंध का मूल्य अपीलार्थी द्वारा आयातित उपकरणों और सामग्रियों के मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी था, हालांकि (ii) और (iii) द्वारा कवर किए गए तकनीकी दस्तावेजों के मूल्य को सीमा शुल्क के भुगतान के लिए सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 (इसके बाद संक्षेप में "नियम") के नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट के संदर्भ में बाहर रखा जा सकता था। हालाँकि, चूंकि अलग-अलग मूल्य नहीं दिखाए गए हैं, इसलिए ऊपर बताए गए नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट का लाभ अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं था और सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से दोनों अनुबंधों के पूरे मूल्य को एक साथ जोड़ा जा सकता था।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

19. टाटा के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया था

आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (ऊपर):-

जी.

“16. यह किसी का मामला नहीं है कि विक्रेता का किसी तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व था जिसे उसके द्वारा संतुष्ट किया जाना आवश्यक था और खरीदार (यानी अपीलार्थी) ने इस तरह के दायित्व को पूरा करने के लिए विक्रेता या किसी तीसरे पक्ष को कोई भुगतान किया था।अनुबंध एम. डी. 301 के विषय-वस्तु को बनाने वाले चित्र और तकनीकी दस्तावेजों के लिए अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई कीमत का कोई विस्तार नहीं हो सकता हैः

एच.

कल्पना किसी तीसरे पक्ष के लिए "विक्रेता का दायित्व" के अर्थ में आती है।आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में भी कोई भुगतान नहीं किया गया था।इसलिए नियम 9 (1) (ई) भी लागू नहीं होता है।

17. जहाँ तक नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्याख्यात्मक नोट नियमों का हिस्सा हैं और इसलिए वैधानिक हैं।हालाँकि, सवाल उनकी प्रयोज्यता में से एक है।न्यायाधिकरण द्वारा नियम 4 के व्याख्यात्मक टिप्पणी के जिस भाग पर भरोसा किया गया है, उसे नकारात्मक रूप में रखा गया है और इसके साथ परंतुक भी है। इसका अर्थ है कि खंड (ए), (बी) और (सी) में वर्णित शुल्क या लागतों को आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, परंतुक कि इस परंतुक की आवश्यकता को पूरा किया जा सके कि शुल्क आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य से अलग थे।व्याख्यात्मक टिप्पणी के इस भाग को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि वे शुल्क जो खंड (ए) से (सी) में शामिल नहीं हैं, आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल किए जाने के लिए उपलब्ध हैं।उदाहरण के लिए, यदि विक्रेता ने भारत में इसके आयात के बाद मशीनरी को खड़ा करने या इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया है और ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए कुछ शुल्क लगाए

हैं, तो इसके लिए भुगतान की गई कीमत माल के मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, यदि इसे अलग से भुगतान किया गया है और यह आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय कीमत से स्पष्ट रूप से अलग है।जाहिर है, इस व्याख्यात्मक नोट को किसी भी चित्र या तकनीकी दस्तावेजों की कीमत की गणना के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है, हालांकि उन्हें आयातित उपकरणों की कीमत में शामिल करके अलग से भुगतान किया जाता है। नियम 4 के नोट के तीसरे पैरा में खंड (ए) आयातित वस्तुओं के निर्माण, निर्माण आदि के संबंध में विक्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क का सुझाव देता है।दस्तावेजों और चित्रों आदि का मूल्य "निर्माण, निर्माण, संयोजन आदि के लिए शुल्क" नहीं हो सकता है।" आयातित वस्तुएँ।वैकल्पिक रूप से, इस नोट पर न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर भी, आयातित वस्तुओं के निर्माण, निर्माण, संयोजन, रखरखाव आदि के दौरान उपयोग के लिए खरीदार-आयातक को आपूर्ति किए गए चित्र और दस्तावेज, अपीलार्थी द्वारा की जाने वाली आयात के बाद की गतिविधि से संबंधित थे।इस तरह के शुल्क एक अलग अनुबंध, यानी अनुबंध एम. डी. 301 द्वारा कवर किए गए थे।उन्हें आयातित वस्तुओं के मूल्य में केवल इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि आयातित उपकरणों और सामग्रियों के लिए संदर्भित दस्तावेजों का मूल्य उन दस्तावेजों के मूल्य के साथ मिलाया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

131

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

जो उन उपकरणों के लिए संदर्भित थे जिन्हें अपीलार्थी द्वारा अभी तक खरीदा या आयात किया या निर्मित नहीं किया जाना था; बाद की श्रेणी के दस्तावेजों का मूल्य भी न तो देय था और न ही आयातित वस्तुओं के मूल्य के साथ जोड़ा जा सकता था।न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी और एस. एन. पी. के बीच किए गए अनुबंधों की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया है। बल्कि इसने अपने आदेश के पैरा 10.2 के माध्यम से देखा है कि दो अनुबंधों (एम. डी. 301 और एम.

डी. 303) में प्रवेश करना एक कानूनी आवश्यकता थी।न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि वह "विषम विभाजन" के किसी भी निष्कर्ष को दर्ज नहीं कर रहा है।अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक देसाई ने बताया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्षक 49.06 के तहत इंजीनियरिंग और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए योजनाएं और चित्र हाथ से बनाए गए हैं और साथ ही संवेदनशील कागजों और कार्बन प्रतियों पर उनके फोटोग्राफिक पुनरुत्पादन को सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त घोषित विद्वान गया है।नियम 9 के उप-नियम (3) और (4) स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में वृद्धि नियमों के तहत अनुमत है यदि वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक डेटा पर आधारित है और नियम 9 द्वारा प्रदान किए गए के अलावा कोई जोड़ अनुमत नहीं है।"

बी.

सी.

डी.

20. राजस्व ने एस्सार गुजरात (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर जोर दिया।हम पहले इस निर्णय में इस प्राधिकरण का उल्लेख कर चुके हैं।इस मामले में एक संयंत्र का आयात शामिल था, जिसे मूल रूप से जर्मनी में स्थापित किया गया था।भारतीय आयातक एस्सार गुजरात ने जर्मनी में उस संयंत्र के विदेशी मालिक के साथ एक समझौता किया था।वह मालिक टेविओट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड था।एस्सार गुजरात ने संयंत्र की खरीद के लिए टेविओट के साथ जो समझौता किया था, वह एस्सार द्वारा एक अन्य निगम, मिडरेक्स इंटरनेशनल बीवी से परिचालन लाइसेंस के हस्तांतरण के अधीन था। सवाल यह उठा कि मिडरेक्स को दिए गए लाइसेंस शुल्क को संयंत्र के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं।राजस्व मामला यह था कि मिडरेक्स से लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त बिक्री के लिए एक शर्त थी।यदि यह शर्त पूरी नहीं की गई होती तो बिक्री कम हो जाती।इस प्रकार, संयंत्र बिक्री समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, मिडरेक्स के साथ लाइसेंस समझौते में प्रवेश करने की आवश्यकता या मजबूरी थी।

ई.

एफ.

जी.

21. सेल ने पहली बार प्राधिकरण के समक्ष विशिष्ट रुख अपनाया था कि उनके लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग लेने की कोई शर्त नहीं थी, जो केवल आपूर्तिकर्ता से आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित थी।समझौते की अनुसूची के संदर्भ में, खरीदार (यानी सेल) को किसी भी समय आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं को बदलने का अधिकार था।

एच.

22. एक संयंत्र के उपकरणों का आयातक हमेशा उपकरणों की आपूर्ति करने वाले विदेशी संघ से आयात के बाद की गतिविधियों के लिए चित्र और डिजाइन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।यह ऐसी व्यवस्थाओं को एक महत्वपूर्ण अनुबंध के गुण प्रदान कर सकता है, लेकिन यह तथ्य अपने आप मूल्यांकन नियमों के नियम 9 (1) (ई) में निहित "शर्त" खंड को आकर्षित नहीं करेगा।एस्सार स्टील के मामलों में

बी.

लिमिटेड (ऊपर) और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (ऊपर), अनुबंध

"टर्नकी" विशेषताओं के कुछ तत्व थे।एस्सार गुजरात **(**ऊपर**)** का मामला अलग है**,** क्योंकि वहां आयात के विषय में किसी तीसरे पक्ष के साथ लाइसेंस समझौता करने की शर्त थी।

23. इस निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा एस्सार स्टील (ऊपर) और एस्सार गुजरात (ऊपर) मामले में विचार किया गया था।एस्सार स्टील (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 और 18 में यह समझाया गया था:"17. न्यायालय ने माना कि 20 लाख डॉयचे मार्क्स और 101 लाख डॉयचे मार्क्स की राशि मिडरेक्स प्रक्रिया और पेटेंट का उपयोग करने के अधिकार के लिए देय थी।संक्षेप में, ये राशि मिडरेक्स के साथ किए गए एक प्रक्रिया लाइसेंस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए देय थी।फैसले में कहा गया है कि इस तरह के लाइसेंस के बिना मिडरेक्स से तकनीकी जानकारी के बिना आयातक द्वारा संयंत्र का संचालन बिल्कुल नहीं किया जा सकता था।किसी भी मामले में, संयंत्र को संचालित या कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका।इस मामले में, चूंकि इन राशियों का भुगतान संयंत्र की स्थापना से पहले किया जाना था, इसलिए इन राशियों को आयातित संयंत्र के मूल्य में जोड़ा जाएगा।

सी.

डी.

ई.

18. हालाँकि, जहाँ तक डॉयचे मार्क्स की राशि का संबंध है, क्योंकि यह भारत में संयंत्र स्थापित करने और चालू करने के लिए इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श के लिए भुगतान था, इस राशि को बाहर करना होगा।इस न्यायालय ने कहा कि इस राशि का केवल 10 प्रतिशत संयंत्र के मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि संयंत्र को विदेशों में जहां है उसी आधार पर बेचा गया था और भारत में वितरण के लिए तैयार होने से पहले इसे विदेशों में नष्ट करने की आवश्यकता थी।जाहिर है, इसलिए यह 10 प्रतिशत एक पूर्व-आयात चरण के लिए जिम्मेदार है।इसके अलावा, भारत के बाहर कर्मियों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए देय

22 लाख डॉयचे मार्क्स की राशि को फिर से नहीं जोड़ा जा सका क्योंकि यह राशि संभवतः प्रशिक्षित कर्मियों के लिए जिम्मेदार होगी, जिनका उपयोग संयंत्र के चालू करने और संचालन में किया जाएगा, जो इसलिए, आयात के बाद की घटना के लिए जिम्मेदार होगा।इस प्रकार, एस्सार ए में निर्णय को ठीक से पढ़ें।

एफ.

जी.

एच.

133

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. [अनिरुद्ध बोस, जे.] ए.

गुजरात मामला वास्तव में प्रत्यर्थी का समर्थन करता है कि भारत में इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श सेवाओं के लिए भुगतान को आयातित संयंत्र के मूल्य में नहीं जोड़ा जा सकता है।इसके अलावा, वर्तमान मामले में, लाइसेंस के तहत प्रौद्योगिकी का कोई हस्तांतरण नहीं है।इसलिए, इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्या इस तरह के लाइसेंस के बिना भारत में स्थापित होने वाले संयंत्र का संचालन किया जा सकता है।निर्णय प्रत्यर्थी के पक्ष में इस तथ्य को भी समाप्त करता है कि भारत के बाहर कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए देय सभी राशियों को संयंत्र के मूल्य में नहीं जोड़ा जा सकता है।"

बी.

24. हम पहले ही प्रत्यर्थी के मामले को संक्षेप में बता चुके हैं कि जिन विवादित वस्तुओं पर सीमा शुल्क अधिकारी शुल्क लगाने का इरादा रखते हैं, वे सभी आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित हैं और उन्हें आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है।प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि जहां तक विषय वस्तुओं का संबंध है, न तो खंड 9 (1) बी (iv) और न ही 9 (1) (ई) को लागू किया जा सकता है।प्रत्यर्थी के अनुसार आयातित वस्तुएं उपकरण हैं और अनुबंध का हिस्सा बनने वाले इंजीनियरिंग चित्र आदि आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक नहीं थे।यह भी आग्रह किया गया है कि सीमा शुल्क प्राधिकरण ने गलत तरीके से तर्क दिया था कि विषय चित्र आदि को इस शर्त के रूप में खरीदा गया था कि आयातित वस्तुओं की बिक्री और 1988 के नियमों के खंड 9 (1) (ई) के आवेदन को बाहर रखा गया था।इस संबंध में नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट पर भरोसा किया गया था।विशेष रूप से उस टिप्पणी के खंड (ए) का संदर्भ दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

25. राजस्व ने यह मामला नहीं बनाया है कि अनुबंध की विवादित वस्तुएं आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं।विषय-वस्तुओं को शुल्क के दायरे में लाने के लिए राजस्व द्वारा जिस वैधानिक प्रावधान पर भरोसा किया गया है, वह 1988 के नियमों का नियम 9 (1) (ई) है।

एफ.

26. "शर्त" अभिव्यक्ति, सरल शब्दों में कहें तो, इस विचार को व्यक्त करती है कि कुछ तभी किया जा सकता है जब कोई अन्य काम भी किया गया हो।दिए गए संदर्भ में, इसका मतलब यह होगा कि उपकरणों के आयात की अनुमति दूसरे पक्ष द्वारा दी जा सकती है बशर्ते कि आयात के बाद की गतिविधियों के लिए डिज़ाइन सुविधाएँ भी उसी आपूर्तिकर्ता से या विदेशी आपूर्तिकर्ता के निर्देश के अनुसार किसी फर्म से प्राप्त की गई हों।लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि उपकरणों का आयात सेल के साथ-साथ इस दायित्व के साथ किया गया था कि आयात के बाद की गतिविधियों से संबंधित डिजाइन भी उसी इकाई से प्राप्त किए जाने चाहिए।राजस्व इस समझ के साथ आगे बढ़ा है कि चूंकि दोनों एक ही विक्रेता से प्राप्त किए गए थे, इसलिए आयात के बाद की गतिविधियों के लिए डिजाइन आदि प्राप्त करने की शर्त है।

जी.

एच.

अनुबंध में निहित था।राजस्व ने अपने मामले पर इस आधार पर जोर देने की कोशिश की है कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, इसलिए उपकरणों का आयात और आयात के बाद की परियोजना कार्यान्वयन अभ्यास परस्पर निर्भर थे।हमारी राय में, अनुबंधों में ऐसी निहित शर्त को पढ़ना ऐसी स्थिति के निर्वाह को प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य सामग्री के अभाव में अस्वीकार्य होगा।अनुबंध का कोई भी हिस्सा हमें नहीं दिखाया गया है जिससे ऐसी स्थिति का अनुमान लगाया जा सके।नियम 9 (1) (ई) को लागू करने के लिए फेरोडो इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में निर्वाह की आवश्यकता ऐसी शर्त निर्धारित की गई है।हमारी राय में, नियम 9 (1) (ई) के प्रावधान स्वचालित रूप से प्रत्येक आयात पर लागू नहीं किए जा सकते हैं जिसमें टर्नकी अनुबंध की सतह विशेषताएँ हैं।सिर्फ इसलिए कि एक अनुबंध या कई अनुबंधों के विभिन्न घटक आयातित वस्तुओं को टर्नकी परियोजना का आकार देते हैं, खंड 9 (1) (ई) में विचार किए गए

"शर्त" के अस्तित्व पर विशिष्ट निष्कर्ष के बिना, इन सभी घटकों के मूल्य को आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है।इस तरह की कवायद नियम 4 के व्याख्यात्मक नोट के प्रावधानों के खिलाफ जाएगी, जो इसके नियम 12 के प्रावधानों को देखते हुए मूल्यांकन नियमों का हिस्सा है।

बी.

सी.

डी.

27. एस्सार स्टील **(**ऊपर**)** में भी राजस्व विवाद इसी तरह के थे।

और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (ऊपर), सिवाय इसके कि तथ्यात्मक रूप से

उन दो मामलों के संदर्भ में, समझौतों के अलग-अलग सेट थे।लेकिन यह अंतर सामग्री की तुलना में रूप का अधिक है।यदि किसी एकल समझौते में आयात के बाद की गतिविधियों के लिए शुल्क योग्य उपकरणों और सेवाओं का आयात शामिल है, और वस्तुओं के ये दो समूह अलग-अलग हैं, तो आयातक के लिए आयात के बाद की गतिविधियों से सीधे संबंधित वस्तुओं के संबंध में शुल्क-बहिष्करण का दावा करने के लिए खुला होगा, ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकन नियमों का नियम 9 लागू है।जे. के. निगम के मामलेलिमिटेड (ऊपर),

ई.

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज**,** डेन्सो किर्लोस्कर **(**ऊपर**),** टोयोटा किर्लोस्कर

एफ.

(उपर्युक्त) सभी आयात के बाद की गतिविधियों के मूल्य के बहिष्करण से संबंधित हैं।28. वर्तमान अपील में, जिसमें दो आयात खेप शामिल हैं, प्रथम दृष्टांत और अपीलीय प्राधिकरण के अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि चूंकि सभी अनुसूचित वस्तुएं एक ही अनुबंध का हिस्सा थीं और आयात के बाद की गतिविधियों के साथ आयातित उपकरणों से जुड़ी थीं, इसलिए धारा 9 (1) (ई) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।इस तरह का तर्क विदेशी संघ को आयात के बाद का काम देने के लिए शर्तों के निर्वाह का अनुमान लगाता है या वस्तुओं के दोनों समूहों के आयात को अन्यथा परस्पर निर्भर बनाता है।हम मूल आदेशों से पाते हैं कि सेल का रुख सुसंगत था कि विषय चित्र और ए

जी.

एच.

ग्राहक आयुक्त (बंदरगाह) कोलकाता बनाम.

विनिर्देश आयातित उपकरणों से संबंधित नहीं थे और आयात के बाद की गतिविधियों के लिए थे और इस बात की कोई शर्त नहीं थी कि उपकरणों के आयात को आयात के बाद के काम द्वारा पूरक किया जाना था।

29. ऐसी परिस्थितियों में, हम न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।याचिका खारिज की जाती है।

बी.

30. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।सभी जुड़े हुए आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.